(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT DELHI SACHIVALAYA, 1.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

Notification No. 37/2023-State Tax

Dated: 30/0/./2024

No. F.3 (20)/Fin.(Exp-I)/2023-24/DS-I/ 93 - In exercise of the powers conferred by section 148 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby notifies the electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52 as the class of persons who shall follow the following special procedure in respect of supply of goods made through it by the persons exempted from obtaining registration (hereinafter referred to as the said person) in accordance with the notification issued under sub-section (2) of section 23 vide notification number 34/2023- State Tax, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide No.F.3(14)/Fin.(Exp-I)/2023-24/DS-I/916, dated 20th Oct, 2023, namely:

- (i) the electronic commerce operator shall allow the supply of goods through it by the said person only if enrolment number has been allotted on the common portal to the said person;
- (ii) the electronic commerce operator shall not allow any inter-State supply of goods through it by the said person;
- (iii) the electronic commerce operator shall not collect tax at source under sub-section (1) of section 52 in respect of supply of goods made through it by the said person; and
- (iv) the electronic commerce operator shall furnish the details of supplies of goods made through it by the said person in the statement in FORM GSTR-8 electronically on the common portal.
- 2. Where multiple electronic commerce operators are involved in a single supply of goods through electronic commerce operator platform, "the electronic commerce operator" shall mean the electronic commerce operator who finally releases the payment to the said person for the said supply made by the said person through him.

This notification shall come into force with effect from the 1st day of October, 2023.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(Ravinder Kumar) Dy. Secretary (Exp.-I)

No. F.3 (20)/Fin.(Exp-I)/2023-24/DS-I/ 93

Dated: 30/01/2024

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.

- 2. The Additional Chief Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
- 3. The Principal Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
- 4. The Principal Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
- 5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi.
- 6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
- 7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
- 8. The Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi, Secretariat, New Delhi.
- 9. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
- 10. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
- 11. Website.

12. Guard File.

(Ravinder Kumar) Dy. Secretary (Exp.-I)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार वित्त (व्यय- ।) विभाग दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

अधिसूचना संख्या-37/2023-राज्य कर

दिनांक: <u>२०/०/</u>/2024

सं.फा.03(२०)/वित्त(व्यय—I)/2023—24/डीएस—I/93 : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017(2017 का 03) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, इलेक्ट्रोनिक वाणिज्य प्रचालक को अधिसूचित करती है जिससे ऐसे व्यक्तियों के वर्ग के रूप में धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर का संग्रहण किया जाना अपेक्षित है जो दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग—IV, खण्ड 3, उपखण्ड (1) में संख्यांक सं.फा .03(14) /वित्त(राजस्व—I) /2023—24 /डीएस—I/916, द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 34/2023—राज्य कर, तारीख 20 अक्टूबर 2023 द्वारा धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन जारी अधिसूचना के अनुसरण में रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट प्राप्त व्यक्तियों (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त व्यक्ति कहा गया है) द्वारा इसके माध्यम से की गई माल की पूर्ति के संबंध में निम्नलिखित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे, अर्थात:-

- (i) इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक, उक्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से की गई मालों की पूर्ति को केवल तभी अनुज्ञात करेगा. यदि उक्त व्यक्ति को सामान्य पोर्टल पर नामाकन संख्या का आबंटन किया गया है:
- (ii) इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक उक्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से की गई मालों की किसी अंतर-राज्यिक पूर्ति को अनुज्ञात नहीं करेगा;
- (iii) इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक उक्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से की गई मालों की पूर्ति के संबंध में धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन स्रोत पर कर का संग्रहण नहीं करेगा; और
- (iV) इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक उक्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से की गई मालों की पूर्ति के ब्यौरे सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक रुप से प्ररूप जीएसटीआर-8 में विवरण के रूप में प्रस्तुत करेगा।
- 2. जहां इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक प्लेटफार्म के माध्यम से मालों की एकल पूर्ति में बहु इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक अंर्तवर्तित है, " इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक " से ऐसा इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक अभिप्रेत होगा जो अंतिम रूप से उक्त व्यक्ति को उसके माध्यम से उक्त व्यक्ति द्वारा की गई उक्त पूर्ति के लिए संदाय जारी करेगा।
- 3. यह अधिसूचना 1 अक्तूबर 2023 से प्रवृत्त होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

> (रविन्द्र कुमार) उप सचिव (व्यय- I)

दिनांक:......... / क्./. / 2024

सं.फा.03(२०)/वित्त(व्यय—I)/2023—24/डीएस—I/93 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारितः

1 माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।

2 अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग — चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।

उप्तार प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

4 प्रधान आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली।

5 माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

6 वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

7 अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

8 निदेशक, राज्य संसाधन विभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली र्सचिवालय, नई दिल्ली।

9/ नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।

10 मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

11 वेब साईट।

12 गार्ड फाइल।

(रविन्द्र कुमार) उप सचिव (व्यय– I)